भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 145
गुरुवार, 5 दिसंबर, 2024/14 अग्रहायण,1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों का निजीकरण

***145 प्रो. सौगत राय :**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले दस वर्षों के दौरान निजीकरण किए गए विभन्नि विमानपत्तनों के नवीनीकरण/निर्माण पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन हवाई अड्डों का निजीकरण होना है, उनके नवीनीकरण पर सरकारी धनराशि व्यय किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त विमानपत्तनों के बोलीदाताओं से ऐसी राशि वसूल किए जाने का कोई विकल्प है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे विमानपत्तनों के मौजूदा कर्मचारियों और उनकी नौकरी की सुरक्षा के संबंध में कोई शर्त रखी है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

****

"विमानपत्तनों का निजीकरण" के संबंध में प्रो. सौगत राय द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 05.12.2024 के मौखिक प्रश्न संख्या 145 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): पिछले दस वर्षों के दौरान, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत छह हवाईअड्डों नामतः मंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, जयपुर और गुवाहाटी को पट्टे पर दिया है। वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार और एईआरए द्वारा संशोधित किए जाने के पश्चात, इन छह हवाईअड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) रियायतग्राही को सौंपने से पूर्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इन पर लगभग 5260 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसमें प्रगतिरत पूंजीगत कार्य और वैमानिकी और गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों में विनियमित परिसंपत्ति आधार (आरएबी) शामिल हैं।

अपेक्षित कार्यनिष्पादन मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन हवाईअड्डों पर पूंजीगत व्यय करना जारी रखता है ताकि यात्रियों की आवश्यकताओं को इष्टतम रूप से पूरा किया जा सके। जब भी हवाईअड्डा पीपीपी भागीदार को सौंपा जाता है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यह पूंजीगत व्यय पीपीपी भागीदार से अग्रिम भुगतान के रूप में वापस मिल जाता है। इन छह हवाईअड्डों के रियायतग्राही ने यह राशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अग्रिम शुल्क के रूप में इस राशि का भुगतान किया है।

(ड.) और (च): उपर्युक्त 06 हवाईअड्डों के पीपीपी लेनदेन के रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार, कार्मिकों (सहायक महाप्रबंधक और उससे नीचे के पद धारक) ने एक वर्ष की अवधि (संयुक्त प्रबंधन अवधि) के लिए हवाईअड्डे पर सेवाएं जारी रखी थीं, तत्पश्चात दो वर्ष की और अधिक अवधि (मान्य प्रतिनियुक्ति अवधि) के दौरान सेवाएं जारी रखी थी। तीन वर्ष की इस अवधि के दौरान, रियायतग्राही ने न्यूनतम 60 प्रतिशत कार्मिकों को उन्हीं सेवा शर्तों और नियमों पर रोजगार प्रस्ताव दिया, जो वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में उनके लिए लागू थे। जिन कर्मचारियों को रियायतग्राही द्वारा रोजगार प्रस्ताव दिया गया था, उनके पास प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प था। जिन कर्मचारियों ने रोजगार के प्रस्ताव को स्वीकार किया, उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया और रियायतग्राही में शामिल हो गए। जिन कर्मचारियों ने रियायतग्राही द्वारा दिए गए रोजगार प्रस्ताव को अस्वीकार किया, वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारी बने रहे और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मान्य प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के पश्चात उन्हें पुनः तैनात किया गया, जबकि रियायतग्राही भाविप्रा से उनके पृथक होने तक उनकी रोजगार लागत वहन करता रहा है।

****